57

न्यायालय राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 892–दो/2004 – विरूद्ध आदेश दिनांक 21–6–2004 – पारित व्दारा – आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना– प्रकरण क्रमांक 157/2000–2001 निगरानी

महिला लीला देवी पत्नि स्व0 श्रीराम
जाति ब्राहमण निवासी ग्राम प्रतापपुरा
तहसील अटेर, जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---आवेदक

विरूद्ध

1– रामआसरे पुत्र देवीलाल
2– अशोक कुमार पुत्र विन्देश्वरी
निवासी ग्राम प्रतापपुरा तहसील अटेर
जिला भिण्ड मध्य प्रदेश ---अनावेदकगण

(आवेदक के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदकगण के अभिभाषक श्री रामसेवक शर्मा)

आ दे श

(दिनांक 15 फरवरी, 2016 को पारित)

आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना– प्रकरण क्रमांक 157/2000–2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21–6–04 के विरूद्ध यह निगरानी म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा–50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है अनुविभागीय अधिकारी अटेर ने प्रकरण क्रमांक 2/88–89/234 अ–59 में पारित आदेश दिनांक 2–3–1989 से ग्राम प्रतापपुरा की भूमि सर्वे नंबर 274 रकबा 0.981 है0 (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) काबिलकास्त घोषित की। आवेदक ने तहसीलदार अटेर के

समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर वादग्रस्त भूमि के व्यवस्थापन की मांग की। तहसीलदार अटेर ने प्रकरण क्रमांक 20/88-89 अ 19 पंजीबद्ध किया एंव आदेश 18-4-90 से आवेदक के हित में भूमि व्यवस्थापित कर दी। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, अटेर के समक्ष अपील करने पर प्रकरण क्रमांक 24/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-12-1994 से अपील निरस्त कर दी। इस आदेश के विरूद्ध आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष निगरानी करने पर प्रकरण क्रमांक 157/2000-2001 में पारित आदेश दिनांक 21-6-04 से अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण क्रमांक 2/88-89/234 अ-59 में पारित आदेश दिनांक 2-3-1989 एंव प्रकरण क्रमांक 24/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-12-1994 तथा तहसीलदार अटेर द्वारा प्रकरण क्रमांक 20/88-89 अ 19 में पारित आदेश 18-4-90 निरस्त कर दिये तथा प्रकरण मौके की जॉच एंव विधिवत् नाईयत परिवर्तन कार्यवाही करके तालाब भूमि न होने एंव समतल पाये जाने से पात्र व्यक्ति को बटन के निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर स्थिति यह है कि वादग्रस्त भूमि अनुविभागीय अधिकारी अटेर के प्रकरण क्रमांक 2/88-89/234 अ-59 में पारित आदेश दिनांक 2-3-1989 के पूर्व शासकीय अभिलेख में नोईयत तालाब दर्ज है। मध्य प्रदेश

भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 237 के अंतर्गत कलेक्टर व्दारा सार्वजनिक हेतु आरक्षित की गई भूमि तालाब मद की भूमि क्या किसी एक व्यक्ति के हित के मद परिवर्तित कर आवंटित की जा सकती है। यदि वादग्रस्त भूमि मौके पर तालाब नहीं रही एंव समतल हो गई है ? इसकी जॉच होना आवश्यक है जब आयुक्त, चम्बल संभाग मुरैना व्दारा प्रकरण के परीक्षण में यह पाया कि मौके की जांच किये बिना भूमि का मद परिवर्तन किया गया है तथा भूमि आबंटित की गई है तथा सार्वजनिक हितों को बन्टन में नजरन्दाज किया गया है उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी अटेर व्दारा प्रकरण कमांक 2/88-89/234 अ-59 में पारित आदेश दिनांक 2-3-1989 , प्रकरण कमांक 24/89-90 अपील में पारित आदेश दिनांक 28-12-1994 तथा तहसीलदार अटेर द्वारा प्रकरण कमांक 20/88-89 अ 19 में पारित आदेश 18-4-90 निरस्त कर मौके की जांच अनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये हैं जिसके किसी प्रकार की त्रृटि करना परिलक्षित नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना व्दारा प्रकरण कमांक 157/2000-2001 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 21-6-04 उचित पाये जाने से यथावत् रखते हुये निगरानी निरस्त की जाती है।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर